प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति।

रिट याचिका (सिविल) क्र.4804/2006

याचिकाकर्ता **बाबूलाल अग्रवाल**

-बनाम-

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु 21 अप्रैल, 2011 को सूचीबद्ध किया जाए।

न्यायाधीश

20/04/2011

सही/-

एम.एम.श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति।

रिट याचिका (सिविल) क्र. 4804/2006

याचिकाकर्ता — बाबूलाल अग्रवाल

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित : श्री शैलेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

श्री अजय द्विवेदी उप शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य/उत्तरवादीगण।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(21 अप्रैल, 2011 को पारित)

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 10/10/05 के मांग नोटिस (अनुलग्नक पी/1) की वैधता एवं मान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता से रु. 2,57,250/- की राशि की मांग की गई है, जो याचिकाकर्ता द्वारा न्यूनतम निश्चित भाटक के बकाये के रूप में है देय है।

2. याचिका में निहित विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्रेनाइट खनिज के उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा

प्रस्तुत किए गए आवेदन पर राज्य शासन ने दिनांक 29/09/1993 (अनुलग्नक पी/3) के पत्र द्वारा कलेक्टर को याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा अनुमोदन की सूचना प्रेषित की। तत्पश्चात दिनांक 24/12/1993 को उत्तरवादी क्रमांक 2, जो कि पट्टाकर्ता है, द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया गया, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को दिनांक 24/12/1993 से दिनांक 23/12/2003 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान की गई। उक्त पट्टा 2.85 हेक्टेयर भूमि, ग्राम बदवार के खसरा क्रमांक 419 एवं 427 में स्थित भूमि, के संबंध में थी, जो कि अनुलग्नक पी/4 में अभिलिखित है। याचिकाकर्ता ने पट्टा प्रदान किए जाने के पश्चात कुछ समय तक खनन कार्य संचालित किया, परंतु, कुल 2.85 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र में से 1.91 हेक्टेयर क्षेत्र समर्पण हेतु प्रथम आवेदन दिनांक 05/09/1998 (अनुलग्नक पी/5) को प्रस्तुत किया। इसके कुछ समय पश्चात, दिनांक 06/06/1999 (अनुलग्नक पी/7) को याचिकाकर्ता ने शेष पट्टा क्षेत्र समर्पण हेतु एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया, यह उल्लेख करते हुए कि चक्रवाती प्रभाव के कारण कटिंग एवं पॉलिशिंग फैक्ट्री नष्ट हो गई है, अतः वह खनन गतिविधि जारी रखने का इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 05/09/1998 एवं 06/06/1999 के दोनों आवेदनों पर उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, राज्य शासन ने दिनांक 18/09/2002 (अनुलग्नक पी/8) के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित पट्टा की शर्तों एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियमों के उल्लंघन के आधार पर, उसका पट्टा निरस्त कर दी। इसके उपरांत, आक्षेपित मांग नोटिस जारी की गई, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय की शरण ली है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादियों द्वारा याचिकाकर्ता से ₹2,57,250/- की वसूली की कार्यवाही, जो कि न्यूनतम निश्चित भाटक के रूप में देय राशि बताई गई है, वह पूर्णतया अवैध है तथा विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों से परे है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने पट्टे के एक भाग को दिनांक 05.09.1998 के आवेदन के माध्यम से तथा शेष पट्टे क्षेत्र को दिनांक 06.06.1999 के आवेदन के माध्यम से विधिवत् समर्पण कर दिया था। अतः पट्टा निरस्तीकरण की तिथि तक न्यूनतम निश्चित भाटक देय होना विधिसम्मत नहीं है। खनन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई गणना (अनुलग्नक पी/2) भी विधिविरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि 2.85 हेक्टेयर पट्टे क्षेत्र के संबंध में, याचिकाकर्ता केवल उस तिथि तक न्यूनतम निश्चित भाटक चुकाने के लिए उत्तरदायी था, जिस तिथि को 05.09.1998 के समर्पण आवेदन के आधार पर पट्टा निर्धारित हुआ। इसी प्रकार, दिनांक 06.06.1999 के आवेदन पर शेष क्षेत्र के समर्पण के पश्चात याचिकाकर्ता किसी प्रकार के न्यूनतम निश्चित भाटक के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह रहा कि पट्टा निरस्तीकरण आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 18.09.2002 उत्तरवादियों को उस तिथि तक न्यूनतम निश्चित भाटक वसूलने का अधिकार प्रदान नहीं करता, क्योंकि विधि के अनुसार पट्टे का एक भाग 05.09.1998 के आवेदन पर तथा शेष भाग 06.06.1999 के आवेदन पर समर्पित हो चुका था; अतः ऐसी वसूली की कार्रवाई अवैध है। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि लंबित नहीं थी तथा याचिकाकर्ता द्वारा न्यूनतम निश्चित भाटक तथा रॉयल्टी की समस्त राशि समय-समय पर विधिवत् जमा कर दी गई थी, जो दिए गए प्रविष्टियों एवं भुगतान विवरणों (अनुलग्नक पी/9) से प्रमाणित होता है। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने ₹24,000/- की अतिरिक्त राशि भी जमा कर दी है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जबकि पट्टे की शर्तों के अनुसार न्यूनतम निश्चित भाटक की राशि ₹6,000/- वार्षिक निर्धारित थी, उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा ₹15,000/- वार्षिक की अवैध मांग की जा रही है, जो विधि के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता केवल ₹6,000/- प्रतिवर्ष की दर से न्यूनतम निश्चित भाटक चुकाने हेतु उत्तरदायी था, वह भी केवल समर्पण आवेदन के आधार पर पट्टा निर्धारण की तिथि तक।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दो आवेदन—दिनांक 05.09.1998 तथा 06.06.1999—प्रस्तुत किए गए थे, तथापि याचिकाकर्ता की पट्टा जारी रही क्योंकि याचिकाकर्ता ने

समस्त बकाया देयकों का भुगतान नहीं किया था। अतः, पट्टा का निराकरण केवल समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जबकि पट्टा विलेख के खंड 13 एवं 14 में निहित विशेष प्रावधानों के अनुसार सभी बकायों के भुगतान से पहले पट्टा समाप्त नहीं होती। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न्यूनतम निश्चित भाटक का नियमित भुगतान नहीं कर रहा था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता को कई नोटिस जारी किए गए थे। जब याचिकाकर्ता द्वारा न्यूनतम निश्चित भाटक अदा नहीं किया गया, तब कलेक्टर द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार को संदर्भित किया गया, जैसा कि उनके दिनांक 05.07.2001 (अनुलग्नक आर/1) तथा 14.06.2002 (अनुलग्नक आर/2) के ज्ञापन से स्पष्ट है। तत्पश्चात राज्य सरकार ने दिनांक 18.09.2002 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की पट्टा को समाप्त कर दिया। अतएव, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पट्टा का समापन केवल निरस्तीकरण के उपरांत ही हुआ तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गई समर्पण संबंधी आवेदनों के आधार पर पट्टा की कोई वैध समाप्ति नहीं मानी जा सकती। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 18/09/2002 को पारित पट्टा निरस्तीकरण आदेश की शुद्धता एवं वैधता को चुनौती न दिए जाने की स्थिति में यह मान लेना होगा कि याचिकाकर्ता ने पट्टे की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया था। अतः दिनांक 18/09/2002 तक देय न्यूनतम निश्चित भाटक की वसूली तथा उसके फलस्वरूप जारी की गई मांग नोटिस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अनुलग्नक पी/1) विधि के अनुसार है। उत्तरवादी के अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि शर्त क्रमांक 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, पट्टा केवल उत्खनन प्रारंभ होने से पूर्व ही समर्पित किया जा सकता था, वह भी कलेक्टर को दो माह पूर्व लिखित सूचना देकर। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 05/09/1998 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो उत्खनन प्रारंभ होने के बाद था, अतः उक्त आवेदन विधिसम्मत नहीं है तथा स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ अल्पखनिज नियम, 1996 के नियम 29 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार न्यूनतम निश्चित भाटक अदा करने का दायित्व रखता है। इस प्रकार, पट्टे की शर्तों के विपरीत होने पर भी, याचिकाकर्ता पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम निश्चित भाटक अदा करना अनिवार्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. याचिकाकर्ता को पट्टा विलेख में वर्णित विवरणानुसार कुल 2.85 हेक्टेयर क्षेत्र का पट्टा प्रदान किया गया था और इस वास्तविक तथ्य के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। दिनांक 05.09.1998 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम आवेदन (अनुलग्नक पी/5) पट्टा समर्पण हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदन दिनांक 05.09.1998 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने पट्टे के 1.85 हेक्टेयर क्षेत्र का समर्पण करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे कलेक्टर द्वारा अनुशंसा सहित राज्य शासन को प्रेषित किया गया। याचिकाकर्ता

के उक्त आंशिक पट्टा समर्पण संबंधी आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके उपरांत, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 06.06.1999 (अनुलग्नक पी/7) को पुनः एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख करते हुए समस्त पट्टे का समर्पण करने का निवेदन किया गया कि चक्रवात के कारण कटिंग एवं पॉलिशिंग संयंत्र, ढाँचा तथा कारखाना पूर्णतः नष्ट हो गए हैं, अतः ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिशिंग का कार्य आगे करना याचिकाकर्ता के लिए संभव नहीं रह गया है। इस आवेदन पर भी किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. नियम 34 सहपठित खंड 13 एवं 14 अंतर्गत पट्टा-विलेख, पट्टे के समर्पण एवं पट्टे की निर्धारण से संबंधित प्रावधान करता है। नियम 34 के अनुसार, पट्टेदार शासन के प्रति समस्त बकाया देयों का भुगतान करने के उपरांत, स्वीकृत प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम छह माह का नोटिस देकर, किसी भी समय पट्टा समाप्त कर सकता है। पट्टा-विलेख के खंड 13 में यह उल्लेखित है कि पट्टेदार, पट्टे से उत्पन्न समस्त देयों का भुगतान कर देने की स्थिति में, छह माह पूर्व लिखित नोटिस देकर, किसी भी समय पट्टा समर्पित कर सकता है। यह खंड आगे यह भी निर्दिष्ट करता है कि यदि पट्टेदार, पट्टे की अवधि के छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही पट्टे को समाप्त करने का विकल्प चुनता है, तो उसे अन्य सभी देयों के अतिरिक्त—

क. प्रथम वर्ष की पट्टा के संबंध में देय रॉयल्टी तथा विनिर्दिष्ट वार्षिक अनिवार्य भाटक के मध्य अंतर के बराबर राशि, यदि उक्त वार्षिक अनिवार्य भाटक की राशि रॉयल्टी की राशि से अधिक हो, अथवा

ख. यदि कोई रॉयल्टी अदा नहीं की गई हो, तो वार्षिक न्यूनतम निश्चित भाटक के बराबर राशि।

खंड 14 में यह भी विनिर्दिष्ट है कि पट्टा की अवधि समाप्त होने पर या धारा 13 अथवा 14 के अंतर्गत पट्टा की पूर्व-समाप्ति की स्थिति में, पट्टा धारी द्वारा कलेक्टर को उन सभी भूमियों के लिए वह राशि अदा की जाएगी, जो कि पट्टा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के फलस्वरूप कृषि हेतु अनुपयोगी कर दी गई हों। यह राशि कलेक्टर द्वारा उस भूमि के भू-राजस्व के पूँजीकृत मूल्य के समतुल्य निर्धारित की जाएगी, जो भूमि कृषि हेतु अनुपयोगी हो चुकी है। महत्वपूर्ण रूप से, खंड 14 यह भी प्रावधान करती है कि यदि उपरोक्त देय राशियाँ पट्टा की समाप्ति अथवा निर्धारण की तिथि से पूर्व जमा नहीं की जाती हैं, तो पट्टा प्रभावी एवं जारी मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उसके विरुद्ध कोई बकाया देय नहीं था तथा याची द्वारा पट्टा अवधि से संबंधित समस्त न्यूनतम निश्चित भाटक समय-समय पर जमा कर दिए गए थे, जैसा कि

अनुलग्नक पी/9 में उपलब्ध प्रविष्टियों से परिलक्षित होता है। अनुलग्नक पी/9 का अवलोकन करने पर यह प्रतित होता है कि याचिकाकर्ता ने 24.12.1993 से 31.12.1999 की अवधि के संबंध में विभिन्न चालानों के माध्यम से रॉयल्टी एवं न्यूनतम निश्चित भाटक का भुगतान किया था। निर्धारण के स्तंभ में प्रविष्टि क्रमांक 8, 9 तथा 10 के अंतर्गत, जो अवधि दिनांक 01.01.1997 से दिनांक 30.06.1998 तक है, न्यूनतम निश्चित भाटक का कोई भुगतान प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रविष्टि क्रमांक 11, 12 तथा 13 के अंतर्गत, जो अवधि दिनांक 01.07.1998 से दिनांक 31.12.1999 तक है, कुल भुगतान राशि मात्र ₹2,000/- दर्शाई गई है। खनन निरीक्षक द्वारा तैयार विवरण, जो अनुलग्नक पी/2 के रूप में अभिलेख पर है, के अनुसार याचिकाकर्ता को नवंबर 1998 से मार्च 2000 तक की अवधि के लिए ₹1,80,000/- के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया तथा पट्टा निरस्तीकरण की तिथि 18.09.2002 तक अतिरिक्त ₹77,250/- भी देय बताया गया। तथापि, पट्टा के इस निरस्तीकरण का आधार क्या था, इसका कोई उल्लेख अभिलेख पर नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. नियम 34 एवं पट्टा की शर्तें क्रमांक 13 और 14 के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता पर यह वैधानिक दायित्व था कि वह पट्टा से संबंधित सभी बकाया राशि—जिसमें न्यूनतम निश्चित भाटक भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित है —का भुगतान करे। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार पट्टा को तभी समाप्त किया

जा सकता था जब याची छह माह का नोटिस देकर तथा शासन की ओर बकाया देयों का पूर्ण भुगतान करके ऐसा करता। इसके अतिरिक्त, चूँकि याची द्वारा पट्टा समर्पण के दोनों आवेदन पट्टा की छठी वर्षगांठ पूर्ण होने से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, अतः उसे पट्टा विलेख की खण्ड 13 के उपखण्ड (**a**) एवं (**b**) के अनुसार देय राशि का भुगतान करना भी आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, याची पर यह दायित्व भी था कि वह कलेक्टर को उस भूमि के भू-राजस्व के पूँजीकृत मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करे, जो भूमि पट्टा समाप्ति के परिणामस्वरूप अनुपयोगी हो गई थी। यह राशि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जानी थी। तथापि, अभिलेख में ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि याची द्वारा दिनांक 05.09.1998 एवं 06.06.1999 को प्रस्तुत आवेदन के उपरांत, कलेक्टर द्वारा धारा 14 के अनुसार यह निर्धारण प्रक्रिया निष्पादित की गई हो। वर्ष 1996 के नियमों के नियम 34 तथा पट्टा विलेख की धारा 13 एवं 14 में निहित विधिक प्रावधानों के अनुसार, पट्टा का समर्पण तभी संभव था जब निर्धारित सभी देयों का भुगतान कर दिया जाए। तथापि, याची द्वारा इस याचिका में विभिन्न देयों का कोई विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही प्रतिवादियों द्वारा समय-समय पर याची द्वारा किए गए वास्तविक भुगतानों का कोई विशिष्ट विवरण प्रदान किया गया है, बल्कि मात्र यह सामान्य कथन किया गया है कि याची ने सभी देयों का निर्वहन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह सत्य है कि पट्टा-विलेख (अनुलग्नक पी/4) के निष्पादन के समय वार्षिक न्यूनतम निश्चित भाटक अग्रिम रूप से ₹6,000/- निर्धारित किया गया था, जिसमें यह शर्त निहित थी कि प्रथम वर्ष का किराया दिनांक 24.12.1994 को देय होगा, जो दिनांक 24.12.1994 से आरंभ होने वाले वर्ष के लिए होगा, तथा इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष के प्रथम महीने की 20वीं तारीख को वार्षिक किराया अदा किया जाना होगा। हालाँकि, तत्पश्चात राज्य सरकार ने खनन एंड खनिज (विकास और विनियम) एक्ट, 1957 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1961 का निर्माण किया। नियम 29 न्यूनतम निश्चित भाटक के दरों के संबंध में प्रावधान करता है। उक्त नियम के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार उद्धृत किए जाते हैं—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"29. भाटक और स्वमिस्वण्.-

1. जब कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाये या उसका नवीकरण किया जाए, तब-

(क) अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जायेगा;

(ख) चूना पत्थर के सिवाय अनुसूची.तीन में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्वमिस्व प्रभारित किया जायेगा;

(ग) चूना पत्थर के स्वमिस्व की दर वहीं होगी जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची.दो में चूना पत्थर के लिए समय.समय पर नियत की जाय;

(घ) सतह भाटकए पट्टेदार द्वारा दखल में लिये गये या उपयोग किये गये क्षेत्र के बारे में जिले के कलक्टर द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

2. इन नियमों के प्रारम्भ होने के दिनांक पर तथा उस दिनांक से उपनियम ;1द्ध के उपबंध ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व प्रदान या नवीकृत किये गये तथा ऐसे दिनांक पर विद्यमान पट्टों पर भी लागू होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यदि पट्टाए एक ही क्षेत्र से एक से अधिक खनिज उत्खनन की अनुमति देता हैए तो प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग.अलग अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व जो भी रकम अधिक होए का भुगतान करने का दायी होगा।

4. किसी पट्टा लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदारए निकाले गये औरध्या खपाये गये किसी भी खनिज के संबंध में अनुसूची.तीन तथा चार में समय.समय पर विनिर्दिष्ट दरों से भाटकध्स्वमिस्व का भुगतान करेगा।

5. राज्य सरकारए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वाराए अनुसूची.तीन और चार को संशोधित कर सकेगी जिससे कि किसी भी खनिज के संबंध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से देय भाटकध्स्वमिस्व की दर में वृद्धि की जा सके या उसे घटाया जा सके।

परन्तु यह कि किसी भी खनिज के संबंध में स्वमिस्वध्अनिवार्य भाटक की दर तीन वर्ष की किसी कालावधि के दौरान एक से अधिक बार पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

6. ग्रेनाइट का कोई भी ब्लाकए चाहे वह प्रसंस्करित अथवा कच्चे स्वरुप में होए या अन्य कोई खनिजए खनि अधिकारी द्वारा जारी किये विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र से नहीं भेजा जायेगा य उत्खनित खनिजों में से उस मात्रा के लिएए जिसका परिवहन अभिप्रेत है स्वमिस्व जमा करने के पश्चात् प्ररूप.आठ में आवेदन देने परए अभिवहन पास जारी किया जायेगा यइस नियम के उल्लंघन का परिणाम ऐसी किसी कार्यवाही परए जो पट्टेदार के विरुद्ध हो सकेए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलक्टर द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के सम्पहरण में हो सकेगा।

7. अभिवहन पास प्ररूप.नौ में होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई पट्टा प्रदान किया जाता है, तब न्यूनतम निश्चित भाटक अनुसूची–**IV**

में निर्दिष्ट दर पर देय होगा। उप-नियम (2) में निहित प्रावधान भी किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं छोड़ते कि नियमों के प्रवर्तन की तिथि से, उप-नियम (1) के प्रावधान उन पट्टों पर भी लागू होंगे, जो उक्त प्रवर्तन तिथि से पूर्व प्रदान किए गए थे अथवा नवीनीकृत हुए थे तथा उस तिथि पर प्रचलित थे। इन प्रावधानों का प्रतिफल यह होता है कि 1996 के नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से न्यूनतम निश्चित भाटक अनुसूची–**IV** में वर्णित दर पर देय होगा, और यह उन पट्टों को भी आच्छादित करेगा जो उक्त प्रवर्तन तिथि से पूर्व दिए गए थे तथा प्रवर्तन तिथि पर विद्यमान थे। अतः, याची पर यह वैधानिक दायित्व अधिरोपित होता है कि वह 1996 के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–**IV** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार नियमों के प्रवर्तन दिवस से न्यूनतम निश्चित भाटक का भुगतान करे। नियम 1(**ii**) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यह नियम 1 अप्रैल 1996 से प्रवर्तन में आएंगे। फलस्वरूप, याची 1 अप्रैल 1996 से, नियम 1996 की अनुसूची–**IV** में निर्दिष्ट दर पर *अनिवार्य भाटक* का भुगतान करने हेतु बाध्य था, भले ही पट्टा–विलेख (अनुलग्नक पी/4) के खंड 2 में प्रतिवर्ष ₹6,000/- का न्यूनतम निश्चित भाटक निर्धारित करने का उल्लेख है, क्योंकि नियम 1996 के प्रवर्तन की तिथि से, पट्टा–विलेख का उक्त खंड विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण शून्य है और न तो वह लागू किया जा सकता है और न ही पट्टे की किसी भी पक्ष द्वारा उस पर बल दिया जा सकता है। याची पर विधि द्वारा अधिरोपित दायित्व यह है कि वह 1996

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के नियमों की अनुसूची–**IV** में निर्दिष्ट दर से वार्षिक न्यूनतम निश्चित भाटक का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, उप-नियम (5), नियम 29 में निहित प्रावधानों के अनुसार—जिसका उल्लेख उपर्युक्त किया गया है—राज्य शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी खनिज के संबंध में न्यूनतम निश्चित भाटक की दर को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से बढ़ा या घटा सकता है, बशर्ते कि किसी तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम निश्चित भाटक की दर में एक से अधिक बार पुनरीक्षित न किया जाए। अतः, नियम 29 में निहित उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, 1 अप्रैल 1996 से, याची अनुसूची–**IV** में निर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम निश्चित भाटक का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रस्तुत प्रकरण में माननीय अधिवक्ता वास्ते राज्य का यह तर्क है की पट्टा–विलेख की खंड 1, 13 तथा 14 में निहित प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता केवल खनन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही पट्टे का समर्पण करने का अधिकार प्रयोग कर सकता है तथा उसके पश्चात नहीं, पूर्णतः भ्रमितिपूर्ण है तथा प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार किए जाने योग्य है। न तो खंड 1 और न ही खंड 13 एवं 14 में कहीं भी इस प्रकार की कोई शर्त निहित है। पट्टा–विलेख की खंड 1 की प्रथम परंतुक केवल यह उपबंधित करती है कि पट्टाधारी, निष्पादित भूमि के किसी भी भाग पर खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कलेक्टर

को दो कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देगा, तथा यदि कलेक्टर उक्त नोटिस प्राप्त होने के दो माह के भीतर ऐसे उपयोग पर आपत्ति प्रकट करता है, तो ऐसी आपत्ति पर विचार होने तक तथा उपरांत स्वामी द्वारा आपत्ति निरस्त या त्यागे जाने तक वह भूमि उपयोग में नहीं लाई जाएगी। अतः यह धारा केवल पट्टाधारी द्वारा भूमि के खनन प्रयोजन हेतु उपयोग की शर्तों से संबंधित है, न कि पट्टे के समर्पण की शर्तों से।

12. उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रतिवादीगण इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने में असफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता से न्यूनतम निश्चित भाटक कि, की गई मांग विधि–सम्मत है। तथापि, चूँकि न तो याचिकाकर्ता द्वारा संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है और न ही उत्तरवादिगण द्वारा समय–समय पर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए भुगतानों तथा देयकों का विशिष्ट विवरण दिया गया है, इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त नहीं है कि दिनांक 05/09/1998 तथा उसके उपरांत 06/06/1999 को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथियों पर पट्टा–सम्बंधित सभी देयक विधिवत् रूप से अदा किए गए थे या नहीं। अतः याचिकाकर्ता का यह तर्क कि दोनों आवेदन दिनांक 05/09/1998 एवं 06/06/1999 प्रस्तुत करने से पट्टा स्वतः समर्पण माना जाए एवं समाप्त हो गया हो, स्वीकार्य नहीं है। इस विषय पर निर्णय हेतु आवश्यक है कि पट्टा–सम्बंधित देय राशियों की विधिवत् जाँच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की जाए, विशेषकर 1996 के नियमों के नियम 34, पट्टा–विलेख की खंड 13 एवं 14, तथा 1996 के नियमों की अनुसूची–**IV** में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक दरों को ध्यान में रखते हुए। यदि याचिकाकर्ता ने अपने पट्टा–सम्बंधित सभी देयक चुका दिए हों, तो आवेदन दिनांक 05/09/1998 के संबंध में 1.85 हे. भूमि का पट्टा, आवेदन की तिथि से छह माह की अवधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि आवेदन दिनांक 06/06/1999 के संबंध में भी सभी देयक अदा कर दिए गए हों, तो उस पट्टा–क्षेत्र का पट्टा भी छह माह की अवधि पूर्ण होने पर समाप्त माना जाएगा। परंतु, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है, इस तथ्य की पुष्टि हेतु विधिसम्मत जाँच आवश्यक है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि 1996 के नियम 29 एवं 34 तथा पट्टा–विलेख के खंड 13 एवं 14 के अनुरूप याचिकाकर्ता द्वारा कितना देयक अदा किया गया था तथा कितना शेष था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपस्थित परिस्थितियों में, मांग नोटिस (अनुलग्नक पी/1) को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को दिनांक 5/9/98 एवं 6/6/99 के समर्पण आवेदन के संबंध में विधिवत् निराकण हेतु, उपर्युक्त न्यायालय द्वारा अभिलिखित टिप्पणियों एवं निष्कर्षों के आलोक में, कलेक्टर के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाता है। कलेक्टर, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा तत्पश्चात यह निर्णय करेगा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 5/9/98 के

समर्पण आवेदन के संदर्भ में, तथा उसके उपरांत 6/6/99 के समर्पण आवेदन के संदर्भ में, पट्टा संबंधी देय राशि का समुचित भुगतान किया गया था या नहीं। याचिकाकर्ता द्वारा देय न्यूनतम निश्चित भाटक के राशि का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो याचिकाकर्ता द्वारा देय होगी। उपर्युक्त रूप से वर्णित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी तथा आदेश प्रतिलिपि की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम पाँच माह की बाह्य अवधि के भीतर पारित किए जाएंगे। याचिका उपर्युक्त सीमा एवं प्रकार में स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

एम.एम.श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan